निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 81) पटना, वृहस्पतिवार, 28 जनवरी 2016

सं0 5 (न) वि–35/2015—**530**/न0वि0एवंआ0वि

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

21 जनवरी 2016

विषयः—राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 4% कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के संबंध में।

राज्य के नगर निकायों में कर संग्रहण कार्य हेतु कर संग्राहकों की अत्यधिक कमी है। स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने के लिए सेवा नियमावली गठित की जा रही है। साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया का भी निर्धारण किया जा रहा है।

2. विभाग का यह प्रयास रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र नियमित नियुक्ति हो। परन्तु उसमें समय लगने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए अन्य विकल्पों पर विचार किया गया है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व में नगर निकायों को यह दिशानिर्देश दिया गया था कि कर संग्राहक, कमीशन आधार पर रख सकते है, जिसमें संग्रहकर्त्ता को संग्रहित राशि का 4 प्रतिशत कमीशन स्वरूप दिया जाना है।

4. राज्य के नगर निकायों में 50 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत पद रिक्त है। इन पदो पर पूर्व की भांति कमीशन आधार पर कर संग्राहकों की नियुक्ति, संबंधित नगर निकायों द्वारा किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान होंगेः–

(i) नगर निकायों द्वारा आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) कमीशन आधारित यह नियुक्ति मात्र 11 महीने की अधिकतम अवधि के लिए होगी। 11 महीने के बाद नगर निकाय अवधि विस्तार कर सकती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को स्वच्छ आचरण प्रदर्शित करना होगा, साथ ही साथ न्यूनतम वार्षिक संग्रह 30.00 लाख रूपये करना होगा। 30.00 लाख रूपये इसलिए प्रस्तावित है, क्योंकि इसका 4 प्रतिशत 1.20 लाख रूपये होता है यानि औसतन मासिक 10,000/– रूपये प्रतिमाह का कमीशन संबंधित व्यक्ति को मिल सकेगा, जो युक्तिसंगत है। यदि इससे कम कर संग्रहण किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुनः नही रखा जाएगा।

(iii) कमीशन आधारित इस नियुक्ति हेतु NIC के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल विभाग द्वारा विकसित कराया जाएगा जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित नगर निकाय के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन

प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त हुए ऑनलाईन आवेदन पत्रों को संबंधित नगर निकाय द्वारा संविक्षा करके, निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी।

(iv) एक अभ्यर्थी मात्र एक ही जिले के नगर निकायों में आवेदन कर सकेंगें।

(v) अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (वाणिज्य) या स्नातक (विज्ञान) होगी। स्नातक स्तर पर प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची बनायी जाएगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता यथा पोस्ट ग्रेजुएट को 20 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

(vi) MIS सृजित मेधा सूची के आधार पर नगर निकायों द्वारा अभिलेखों का सत्यापन करके, चयन की कार्रवाई की जाएगी।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–19.01.2016 में मद संख्या–4 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 81-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in